

दहेज के खातिर अपनी पत्नी की हत्या करने वाले अभियुक्त को थाना उझानी पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार कर जिला कारगार भेजा गया ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डा. ओ.पी. सिंह जनपद बदायूँ के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री प्रवीण कुमार चौहान अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन एवं श्री शक्ति सिंह क्षेत्राधिकारी उझानी के पर्यवेक्षण तथा हरपाल सिंह बालियान प्रभारी निरीक्षक उझानी के नेतृत्व में चलाये जा रहे वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के दौरान आज दिनांक 25.07.2022 को थाना स्थानीय पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मु.अ.सं. 502/2022 धारा-498ए/304बी/323 IPC व 3/4 DP ACT के अभियुक्त रीतेश पुत्र विनोद नि. मो. अयोध्यागंज गली नं0- 05 कस्बा व थाना उझानी बदायूँ को गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की गयी ।

दिनांक 24.07.2022 को श्री चन्द्रपाल पुत्र मुलू सिंह नि0 समरेर थाना दातागंज जनपद बदायूँ की पुत्री निशा उम्र करीब 20 वर्ष से अतिरिक्त दहेज की मांग करना न देने पर मारपीट कर प्रताड़ित कर वादी की पुत्री निशा की हत्या कर दी थी । इस सम्बन्ध में मृतका के पिता चन्द्रपाल सिंह द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर दिनांक 24.07.2022 को थाना स्थानीय पर मु.अ.सं - 502/2022 धारा - 498ए/304बी/323 IPC व 3/4 DP ACT बनाम 1. रीतेश पुत्र विनोद (पति) 2. राजकुमारी पत्नी विनोद (सास) 3. विनोद पुत्र नामालुम (ससुर) नि0गण अयोध्यागंज गली नं0- 05 कस्बा व थाना उझानी बदायूँ पंजीकृत किया गया था । जिसकी विवेचना श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय द्वारा सम्पादित की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता -

रीतेश पुत्र विनोद नि. मो. अयोध्यागंज गली नं0- 05 कस्बा व थाना उझानी बदायूँ

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. उ.नि. श्री लवगिरि थाना उझानी, बदायूँ ।
2. का. 1657 अतुल थाना उझानी, बदायूँ ।

सोशल मीडिया सैल,

जनपद बदायूँ ।